महत्वपूर्ण एवं खास

जंगली सूअर के हमले से महिला की मौत

जशपुर (आरएनएस)। जशपुर वन मंडल बगीचा के मरोल के जंगल में जंगली सुअर के हमले से एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल, इन दिनों बादलखोल अभ्यारण्य, बगीचा और पत्थलगांव के जंगलों में वन्य प्राणियों को जगह-जगह पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में वन्य प्राणी रिहायशी इलाकों की ओर पहुंचने लगे हैं। इस बीच आज मरोल जंगल के समीप एक वृद्धा अन्य महिलाओं के साथ महुआ बिन रही थी,इस दौरान अचानक जंगली सुअर ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। इससे हमले में गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बगीचा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में मर्ग कायम कर लिया है। वहीं बगीचा वन अधिकारी ने मृतक के परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान कर दी है।

12 वर्षो से फ रार स्थायी वारंटी गिरफ्तार

राजनांदगांव (आरएनएस)। शहर की कोतवाली थाना पुलिस को 12 वर्षो से फरार स्थाई वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व मे थाना कोतवाली क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव के मददेनजर निर्विघ्न, शांतिपूर्ण एंव सौहाद्र्रपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से वारंटियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 28.03.2024 को जेएमएफसी न्यायालय राजनांदगॉव प्रकरण मे धारा 279, 304-ए भादवि में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट के वारंटी सईद उर्फ बाबा खान पिता अब्दुल सलाम उम्र 48 वर्ष साकिन कसारीडीह आजाद चौक दुर्ग जिला दुर्ग (छ0ग0) को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, उक्त वारटी विगत 12 वर्षो से फरार था, जिसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।

खाद्य विभाग के टीम ने नकली दूध और पनीर बनाने की फैक्ट्री में दी दबिश

दुर्ग (आरएनएस)। जिले के पाटन ब्लॉक में नकली दूध और पनीर बनाने का प्रोसेसिंग यूनिट जब्त किया है। यहां खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी करके बड़े पैमाने पर नकली दूध, पनीर, दूध पाउडर, यूरिया, कैमिकल और आयल जब्त किया है। खाद्य अधिकारी का कहना है कि सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी छीर सागर पटेल ने बताया कि उन्हें बुधवार रात सूचना मिली थी कि पाटन के देमार गांव में नकली दूध और पनीर बनाया जा रहा है। उन्होंने पाटन पुलिस की मदद से देर रात छापेमारी की। इसके बाद टीम गुरुवार सुबह 11 बजे तक यहां कार्रवाई करती रही। कार्रवाई के दौरान पाटन के नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल ले लिया है। सैंपल फेल हुआ तो यूनिट संचालक के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घायल युवक को पहुंचाया 112 से अस्पताल

कोरबा (आरएनएस)। ग्राम मड़वारानी निवासी युवक सडक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। पैर में चोट लगने के बाद उसकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उरगा पुलिस ने डायल 112 वाहन के माध्यम से कोरबा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार जिले के उरगा थानांतर्गत ग्राम मड़वारानी के आश्रित ग्राम पकरिया निवासी संतोष कुमार कंवर उम्र 25 एक वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका पैर काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया था।

कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट मल्टीलेवल पार्किंग में स्थापित इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का किया निरीक्षण

- चार स्थलों पर एक साथ 03 वाहनों की चार्जिंग की सुविधा
- शहर में 10 नये चार्जिंग स्टेशन की भी तैयारी

रायपुर | आरएनएस

जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में रायपुर शहर के चार स्थलों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। कलेक्ट्रेट मल्टीलेवल पार्किंग में स्थापित स्टेशन का आज कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने निरीक्षण कर विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विश्वदीप भी साथ थे। इन इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन से चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को राह चलते चार्ज करना आसान है एवं इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। मल्टीलेवल पार्किंग में तीन चार्जिंग प्वाइंट होने से न्यूनतम दर पर एक ही समय में एक साथ 03 वाहनों की चार्जिंग की सुविधा मिल रही है।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में किफायती व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जिला प्रशासन द्वारा रायपुर शहर के 04 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए है। कलेक्टर डॉ. सिंह ने आज कलेक्टोरेट स्थित मल्टीलेवल पार्किंग पहुंचकर नागरिकों को मिल रही सुविधा का विस्तार से जायजा लिया। चार्जिंग स्टेशन में एक साथ 03 चार पहिया वाहनों के चार्जिंग की सुविधा है, जहां पर 45 मिनट से भी कम समय में वाहन की फुल चार्जिंग की व्यवस्था है। ज्ञात हो इन चार्जिंग स्टेशन की कैपेसिटी 142 (60$60$42) किलोवाट है। सभी फास्ट एवं एसी चार्जर है। इसके अलावा जयस्तंभ चौक मल्टीलेवल पार्किंग, आई.एस.बी.टी. परिसर एवं नगर निगम मुख्यालय में भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन संचालित है। सभी स्टेशनों पर 3 गन वाले चार्जर स्थापित किए गए हैं। चार्जिंग स्टेशन पर वाहन मालिक से प्रति यूनिट 18 रुपए का शुल्क निर्धारित है।

निरीक्षण के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि रायपुर नगर निगम द्वारा इंडियन आयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर शहर में चार्जिंग स्टेशन के 10 नये चार्जिंग नेटवर्क की तैयारी भी की जा चुकी है, जिसके तहत सुभाष स्टेडियम, रायपुर स्मार्ट सिटी ऑफिस परिसर, जवाहर बाजार पार्किंग परिसर, लक्ष्मी कपड़ा मार्केट पंडरी, सेंट्रल लाईब्रेरी के पास, जोन 10 कार्यालय, एलआईसी हाउसिंग शंकर नगर, अनुपम नगर गार्डन, गांधी उद्यान पार्किंग और आमानाका के पास चार्जिंग स्टेशन तैयार हो रहे हैं, जिसकी सुविधा भी इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को शीघ्र मिलेगी।

राशन कार्डधारियों को मिलेगा अप्रैल एवं मई का एकमुश्त राशन

महासमुंद | आरएनएस

खाद्य नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन कार्ड धारकों को दो माह अप्रैल और मई 2024 के लिए चावल एकमुश्त वितरण किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। यह वितरण माह अप्रैल 2024 में किया जाएगा। जिले के सभी राशन कार्ड धारकों को माह अप्रैल एवं मई हेतु पात्रता अनुसार चावल का आबंटन एकमुश्त उचित मूल्य के दुकानों से किया जाएगा। इसके लिए चावल एवं अन्य राशन सामग्री, आवश्यक वाहनों की व्यवस्था एवं भण्डारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र में सुरक्षित भण्डारण स्थल चिन्हांकन व राशन सामग्री का सुरक्षित भण्डारण करने कहा है।

जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को जारी दिशा-निर्देश में दो माह की चावल वितरण की सूचना सभी राशन कार्ड धारियों को ग्राम पंचायत/वार्ड में मुनादी कराकर, मीडिया के माध्यम से, अन्य प्रचार-प्रसार माध्यम से करने कहा है। चावल को छोडक़र शेष राशन सामग्री भी शक्कर, नमक, केरोसिन एवं अनुसूचित क्षेत्रों में चना माहवार पात्रतानुसार वितरण होगा। जिले की प्रत्येक उचित मूल्य के दुकानों में चावल उत्सव के आयोजन की तिथि के दिन राशन कार्ड धारकों को दो माह का चावल वितरण करने के निर्देश दिए है।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई एवं आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के मध्य शैक्षणिक अनुबंध

रायपुर | आरएनएस

विगत 26 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई एवं आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के बीच एमओयू किया गया। इस एमओयू को विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉ. एम. के. वर्मा एवं आईआईटी मंडी के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा द्वारा सम्पदित किया गया जिसके तहत अनुसंधान एवं अकादमिक गतिविधियों के विकास पर दोनों संस्थाओं द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। इस एम ओ यू के तहत फैकल्टी एवं स्टाफ, दोनों संस्थानों में आवागमन कर शैक्षणिक एवं कंसल्टेंसी कार्यो का क्रियान्वयन कर सकेंगे। इसके तहत संयुक्त रूप से संस्थान के नियम अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट, पी. एच.डी. के छात्रों का सुपरविजन किया जाएगा।

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के बी. टेक. ऑनर्स के छात्र अपनी 6 माह की इंटर्नशिप स्टाइपेंड के साथ आईआईटी मण्डी में विषय विशेषज्ञों के मार्ग दर्शन में वहीं रहकर पूर्ण कर सकेंगे।संयुक्त रूप से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस आदि आयोजित किया जा सकेंगे। इस प्रकार से विश्वविद्यालय के छात्रों को विश्व स्तर के प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक सुविधा मिल पाएगी साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के संसाधनों की उपयोगिता के अवसर मिलेगा। उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण एवं उन्नयन की सुविधा भी छात्रों को प्राप्त होगी जिसे आधुनिक जगत की आवश्यकता अनुसार इंडस्ट्री रेडी मानव संसाधन तैयार हो सके। विदित हो कि आई आई टी मंडी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डिजाइन और निर्माण केंद्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डिजाइन और निर्माण पर बहु-विषयक अनुसंधान के लिए एक अद्वितीय विश्व स्तरीय सुविधा है। इस लैब में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेब्रिकेशन, एडवांस्ड लिथोग्राफी एंड मैटेरियल्स फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज , फोटोनिक एंड फोटोवोल्टिक डिवाइस , टेस्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस , इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स , इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन एंड सिमुलेशन स्थापित है ।

हर महिने की पहली या दूसरी तारिख को ट्रांसफर होगा महतारी वंदन योजना का पैसा

- मुख्यमंत्री ने किया ऐलान

बालोद | आरएनएस

प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को महतारी वंदन योजना के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को खातों में पैसे ट्रांसफर करने का ऐलान किया है. मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंनें बताया कि उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया था कि महीने के पहले सप्ताह में ही महिलाओं को राशि का भुगतान हो जाए. जिस पर वित्त मंत्री ने 1 या 2 तारीख को ही पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। बता दें कि इससे पहले बीते 10 मार्च को सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त दी थी. रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर पहली किस्त के तौर पर 1-1 हजार रुपये लाभान्वित महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया था। योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता-बहनों को हर महीने एक हजार रुपए देने का वायदा किया गया था. जिसके तहत 10 मार्च को योजना के तहत 655 रुपये की पहली किस्त जारी की गई थी।

कोरबा पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 गुम इंसान को किया बरामद

- इस वर्ष कुल 126 गुम इंसान को किया जा चुका है बरामद

कोरबा | आरएनएस

पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा गुम इंसानों का पता लगाने तथा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश सभी थाना/चौकी प्रभारियों को दिया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में कोरबा पुलिस ने दिनांक 27 मार्च को 4 गुम इंसान को बरामद किया है। जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। जिसमे थाना कटघोरा, पसान, बांगो और चौकी कोरबी से 01-01 गुम इंसान/बालिका को बरामद किया गया है।

ज्ञात हो कि नाबालिको के गुम होने के मामले को अति संवेदनशील और गंभीर मामला माना जाता है, अत: प्रत्येक मामले में नाबालिक का अपहरण होने की दृष्टिकोण से देखा जाकर तत्काल अपहरण के धारा 363 भादवि के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया जाता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक मामले में विशेष टीम का गठन कर बरामदगी हेतु तत्काल प्रयास किया जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य की मदद से गुम इंसान को बरामद करने का प्रयास करती है। इसी के अंतर्गत वर्ष 2024 में अभी तक कुल 126 गुम इंसान को बरामद करने में सफलता मिली है जिसमे 25 पुरुष, 62 महिला, 09 बालक एवं 30 बालिकाएं हैं।

लैंको पावर प्लांट के अधिग्रहण को मिली मंजूरी, होगा अडानी के हवाले

कोरबा | आरएनएस

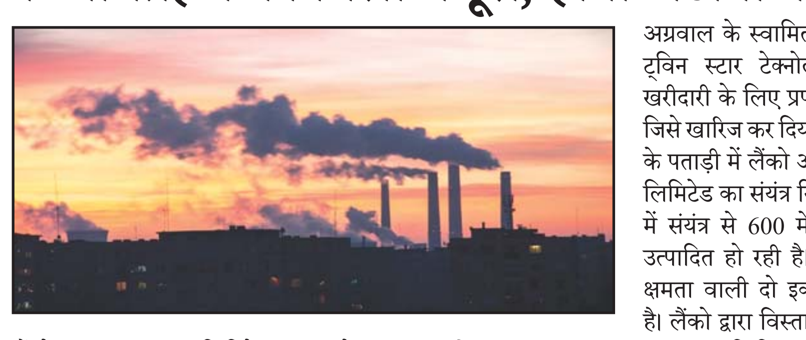

मंगलवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अदानी पावर लिमिटेड द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100 प्रतिशत अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जिले में स्थित लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रहा है। कंपनी पर बैंकों का ही 17 हजार 978 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इसे अलावा भी करोड़ों रुपए की देनदारी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी देने के बाद लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का स्वामित्व अदानी पावर लिमिटेड। अदानी पावर लिमिटेड अदानी समूह की कंपनी है। बताया गया है कि अडानी समूह की कंपनी ने लैंको अमरकंटक पावर के अधिग्रहण की डील 4101 करोड़ रुपए में की है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने भी लैंको अमरकंटक पावर के अधिग्रहण में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बाद में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज ने भी खरीदारी के लिए प्रपोजल दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। जिले के पताड़ी में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का संयंत्र स्थित है। वर्तमान में संयंत्र से 600 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। 300 मेगावाट क्षमता वाली दो इकाई प्रचालन में है। लैंको द्वारा विस्तार परियोजना के तहत सुपर क्रिटिकल तकनीक वाली 660 मेगावाट क्षमता वाली दो यूनिट स्थापित करने का काम शुरू किया गया था। विस्तार यूनिट 3 और 4 का कार्य लगभग हो चुका है। इसी बीच कंपनी भारी कर्ज में फंस गई और दिवाला हो गई।

पिता की हत्या,आरोपी पुत्र 14 घंटे में गिरफ्तार

खैरागढ़ | आरएनएस

आपसी विवाद पर पिता की हत्या करने वाले पुत्र को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने अपने पिता की टंगिया से मार-मारकर हत्या कर दी थी।

मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 26 मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी कि कोपे नवागांव के बीच रास्ते के किनारे कूडे में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है तथा किसी ने उसके गला, कान में गंभीर चोट पहुंचाकर प्राण घातक हमला कर हत्या कर दिया है। सूचना पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा डीएसपी नवीन एक्का, थाना प्रभारी सी आर. चंद्रा, एफएसएल टीम व डॉग स्कॉर्ट की टीम मौके पर पहुंचकर चौकी प्रभारी मोहारा प्रमोद श्रीवास्तव को विवेचना के निर्देश दिये। विवेचना के दौरान संदेही बेटे से पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व से पिता शेष नारायण मारपीट व विवाद करता था एक बार मां को भी तलवार फेंककर मारा था। होली के दिन भी मामा लालचंद जब घर आया था तब शराब पीने की बात को लेकर विवाद किया और मामा लालचंद को छोडक़र आता हूं फिर तुम लोगों का मजा चखाउंगा कहते हुए चला गया। जिससे पुत्र डोमेश कुमार वर्मा द्वारा पिता की बार-बार धमकी से गुस्सा होकर आरोपी पुत्र अपने पिता को हत्या करने के लिए अपने ही घर में रखा हुआ टंगिया लेकर मनोज किराना के सामने तलाब पुल में छिपकर इंतजार करता रहा जैसे ही रात्रि 8:30-09:00 बजे उसका पिता शेष नारायण वापस आया तो अपने पास रखे टंगिया से गला में प्राण घातक हमला कर दिया जिससे शेष नारायण की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद से आरोपी पुत्र डोमेश वर्मा पूछताछ व पुलिस से बचने के लिये हार्ट अटैक का बहाना कर अस्पताल में भर्ती हो गया था। घटना में प्रयुक्त टंगिया में लगे होली का रंग व आरोपी के हाथ में लगे रंग एवं चोंट से प्रथम दृष्टिया ही आरोपी के उपर पुलिस को शक हो गया था, पर आरोपी के अस्पताल में भर्ती होने का नाटक करने से पुलिस को पूछताछ मे दिक्कत आ रही थी।

आरोपी को खैरागढ़ अस्पताल से लाकर पुछताछ करने पर घटना करना स्वीकार किया व टंगिया को पास में ही खेत में फेंक दिया और घटना दिनांक को पहने अधजले कपड़े को निकालकर अपने घर में छिपाना बताया तथा आरोपी द्वारा यह भी बताया गया कि पिता शेष नारायण वर्मा पूर्व में 2010 में थाना गातापार में दोहरे मर्डर में 08 साल की सजा काट चुका है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियॉं की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

कोरबा पुलिस ने लौटाए 201 व्यक्तियों को उनके गुम मोबाइल

कोरबा | आरएनएस

गुम / चोरी मोबाइल रिकवर के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन व सायबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू बी एस चौहान के मार्गदर्शन पर साइबर सेल प्रभारी सउनि. अजय सोनवानी व उनकी टीम द्वारा विगत 2 माह में 201 गुम / चोरी हुए मोबाइलों को रिकवर किया गया है जिसका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 21 लाख रुपए है जिसे सायबर सेल द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के अलावा सीमावर्ती मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से कोरियर के माध्यम से मंगवाये गये हैं। चोरी/गुम हुए मोबाइल के उपयोग करने वालों को साइबर सेल द्वारा कानूनी कार्यवाही की समझाइस देकर रिकवर किए गए मोबाइलों में कई महंगे सेट वीवो, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस, रियलमी, के महंगे सेट भी है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरबा में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस चौहान व नेहा वर्मा एवं सायबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रविन्द्र मीना द्वारा रिकवर किए गए 201 मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाया गया। मोबाइल प्राप्त करते समय मोबाइल स्वामी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कोरबा पुलिस को धन्यवाद दिया और बताये कि उन्हें विश्वास था कि उनका गुम मोबाइल पुलिस जरूर ढूंढ निकालेगी। गुम / चोरी मोबाइल रिकव्हर के कार्य में सायबर सेल प्रभारी सउनि. अजय सोनवानी, प्रधान आरक्षक गुनाराम सिंहा, चंद्रशेखर पांडे, राजेश कंवर, आरक्षक प्रशांत सिंह, सुशील यादव, आलोक टोप्पो, विकेश्वर प्रताप सिंह, रवि चौबे, रितेश शर्मा, डेमन ओगरे, महिला आरक्षक रेनू टोप्पो की सराहनीय भूमिका रही है।

जिले के साइबर सेल तथा थाना, चौकियों में लगातार गुम और चोरी मोबाइलों के संबंध में आवेदन प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह बताना आवश्यक है कि भारत सरकार, संचार मंत्रालय द्वारा गुमध्चोरी मोबाइल के संबंध में पोर्टल सेंट्रल इक्यूपमेंट आईडेंटीटी रजिस्टर के माध्यम से उपयोग किया जाता है। पोर्टल पर गुम/ चोरी मोबाइल की सूचना देकर मोबाइल को ब्लाक और फिर अनब्लाक किया जा सकता है, जिससे मोबाइल के डाटा सुरक्षित रहता है। साथ ही जब कभी गुम/ चोरी मोबाइल पर नया सिम इंसर्ट होता है तो सूचनाकर्ता के दूसरे मोबाइल नंबर पर सूचना चली जाती है।

दूसरी ओर इस ऐप में दर्ज गुम/ चोरी मोबाइल की शिकायतों पर पुलिस कार्यवाही करती है। बता दें कि साइबर सेल द्वारा गुम/चोरी के आवेदन अब नहीं लिये जा रहे हैं अपितु थाना/चौकी तथा जनता द्वारा स्वयं इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर तथा दस्तावेज अपलोड कर अपने गुम / चोरी हुए मोबाईल के संबंध मे रिपोर्ट दर्ज भी कर सकते है।